मीडिया के लिए मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट - केरल सरकार वर्ष 2025 रिपोर्ट संख्या की 1 पर प्रेस ब्रीफ

मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट - केरल सरकार वर्ष 2025 रिपोर्ट संख्या की 1, 25 मार्च 2025 को केरल विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। विधान सभा में प्रस्तुत किए जाने पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट एक सार्वजनिक दस्तावेज है।

यह रिपोर्ट राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के वित्तीय निष्पादन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निरीक्षण भूमिका, कॉर्पोरेट प्रशासन और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का सारांश प्रस्तुत करती है। इसके अलावा, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों के अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं।

- 31 मार्च 2023 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र के अंतर्गत 149 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम थे। 131 कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम हैं और 18 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम परिसमापन के विभिन्न चरणों में हैं। 31 मार्च 2023 तक, 131 कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में केरल सरकार द्वारा कुल निवेश ₹22,318.09 करोड़ था, जिसमें ₹10,015.46 करोड़ की इक्विटी शेयर पूंजी और ₹12,302.63 करोड़ का दीर्घकालिक ऋण शामिल था।

  (पैराग्राफ 1.1.4 and 1.2)

- 131 कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से, 58 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने सितंबर 2023 तक प्रस्तुत अपने अंतिम खातों के अनुसार 1,368.72 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया जबकि 66 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को 1,873.89 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। चार राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को कोई लाभ / हानि नहीं हुई है। केवल सात राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने 2022-23 के दौरान प्रस्तुत अपने नवीनतम अंतिम खातों के अनुसार 35.83 करोड़ रुपये का लाभांश घोषित किया। तीन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम ऐसे थे जिन्हें अभी तक नि.मलेप की समीक्षा के लिए पहले खाते प्रस्तुत करने थे।

  (पैराग्राफ 1.3.1, 1.3.2 and 1.3.4)

- 77 कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के नवीनतम अंतिम खातों के अनुसार कुल संचित घाटा ₹18,026.49 करोड़ था। 77 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से, 44 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की शुद्ध संपत्ति संचित घाटे से पूरी तरह से नष्ट हो गई थी और उनकी शुद्ध संपत्ति ₹5,954.33 करोड़ के इक्विटी निवेश के मुकाबले (-) ₹11,227.04 करोड़ थी।

  (पैराग्राफ 1.3.3)

- 131 कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से, केवल सोलह राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (एक सांविधिक निगम सहित) ने निर्धारित अवधि के भीतर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपने खातों को लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किया।

  (पैराग्राफ 2.3.2)

- 101 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से केवल 35 (दो सांविधिक निगमों सहित) ने लेखापरीक्षा समिति का गठन किया।

  (पैराग्राफ 3.4.2)

- 14 कंपनियों द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के लिए मानदंडों को पूरा करने के संबंध में, चार कंपनियों ने निर्धारित राशि (₹5.90 करोड़ रुपये) खर्च की और तीन कंपनियों ने निर्धारित राशि (₹2.77 करोड़ रुपये) से अधिक खर्च की। चार कंपनियों ने सीएसआर का ₹1.54 करोड़

रुपये का गैर / कम भुगतान किया, जबकि नकारात्मक औसत लाभ वाली तीन कंपनियों को सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करने के लिए अनिवार्य नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 4.5.2.1)

केरल मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड में माल की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया

• केएमएमएल ने नई खरीद प्रक्रिया (एनपीपी) को मंजूरी दी, जो केरल सरकार के स्टोर खरीद मैनुअल (एसपीएम) से विचलित थी। बोली मूल्यांकन प्रक्रिया में दोषों में पूर्व-योग्यता मानदंडों में संशोधन, निविदा नियमों और शर्तों में कमियां शामिल थीं। एसपीएम और एनपीपी के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन के परिणामस्वरूप अयोग्य बोलीदाताओं को अनुबंध दिए गए।

• निविदा अंतिम रूप देने की प्रक्रिया भी आदेश की मात्रा को विभाजित करने, आपूर्तिकर्ताओं के साथ औपचारिक समझौते के अभाव आदि के कई उदाहरणों से दूषित थी, जिसके कारण आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अनुबंध के उल्लंघन के कारण अपूरणीय नुकसान हुआ।

- निविदा आमंत्रित किए बिना ₹19.59 करोड़ रुपये की लागत वाली 14 सामग्रियों की खरीद की गई।
- कैल्सीकृत पेट्रोलियम कोक, सोडियम सिलिकेट और पेटकोक की खरीद पर बोलीदाताओं के बीच आदेश मात्रा का विभाजन हुआ, जिससे ₹4.87 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।
- 2020 में केरल सरकार से दो प्री-हीटर की संशोधित लागत की मंजूरी और सीओपीयू सिफारिश की तारीख (जून 2018) से पांच साल की अवधि बीत जाने के बावजूद, कंपनी ने आज तक (अप्रैल 2024) टिकल प्री-हीटर की खरीद नहीं की। इस अत्यधिक देरी के कारण कंपनी को 2013-23 के दौरान ₹50.40 करोड़ रुपये मूल्य के 9,504 मीट्रिक टन एलपीजी की लागत में बचत से वंचित होना पड़ा।
- खुली ई-निविदा को आमंत्रित न करने के कारण रसायनों की खरीद में ₹21.47 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ, जो कम कीमत पर आपूर्ति के लिए उपलब्ध थे।
- कंपनी ने न तो खरीद से पहले बाजार की जानकारी एकत्र की और न ही राहत के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड से संपर्क किया। इसके कारण एलएनजी खरीद पर अधिक कीमतों पर नामांकित खरीद पर ₹1.70 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 5.1)

केरल स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट कॉरपरेशन लिमिटेड की गैर-बैंकिंग वित्तपोषण गतिविधियाँ

- ऋण मूल्यांकन में कमी और ऋण नीति तथा निर्धारित सरकारी दिशानिर्देशों से विचलन के परिणामस्वरूप कम ब्याज दर का निर्धारण किया गया, जिससे ₹5.95 करोड़ का राजस्व नुकसान हुआ और अयोग्य उधारकर्ताओं को ₹47.65 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए। पूर्व-वितरण शर्तों का पालन न करने या उनमें छूट देने के परिणामस्वरूप ऋण की किस्तों को समय से पहले जारी कर दिया गया। निर्देशों का पालन न करने, उधारकर्ता इकाइयों को अनुचित लाभ पहुंचाने और समय पर उपचारात्मक कार्रवाई न करने के कारण वसूली के प्रयास में देरी हुई।

• कंपनी द्वारा बकाया राशि की वसूली के लिए समय पर उपचारात्मक कार्रवाई के अभाव के परिणामस्वरूप एक उधारकर्ता से ₹28.64 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। कंपनी ने न तो कोई वसूली उपाय शुरू किया और न ही प्रवर्तकों की व्यक्तिगत गारंटी उद्धृत किया, लेकिन निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर ओटीएस राशि का 20 प्रतिशत जमा करने के उच्च न्यायालय के निर्देश का उल्लंघन करते हुए एक अन्य ऋण लेने वाले को आगे समय विस्तार दिया।

(पैराग्राफ 5.2)

जीएसटी के विलंबित भुगतान के कारण अपरिहार्य व्यय

ट्रावनकोर सीमेंट्स लिमिटेड द्वारा जीएसटी के विलंबित भुगतान और जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी के परिणामस्वरूप ब्याज और विलंब शुल्क के रूप में ₹1.59 करोड़ रुपये का अनावश्यक व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 5.3)

केंद्र सरकार के सहायता अनुदान से ब्याज के रूप में अर्जित अनुचित लाभ

हैंडिक्राफ्ट्स् डेवलेपमेंट कोरपरेशन लिमिटेड ने सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन किया क्योंकि वह केंद्र सरकार के सहायता अनुदान के निवेश से अर्जित ₹1.16 करोड़ का ब्याज भारत के समेकित निधि में का जमा करने में विफल रहा।

(पैराग्राफ 5.5)